न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 04 / 2020
तारीख निर्णय– 19.02.2021

प्रार्थी :–

1. केसाराम पुत्र हीरारामजी का स्वर्गवास होने से कायम मुकाम वारीसान
   1/1 मोटाराम पुत्र केसारामजी आयु–65 वर्ष जाति–सिरवी, निवासी–दादाई तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. सफाराम पुत्र गुलारामजी का स्वर्गवास होने से कायम मुकाम वारीसान
   2/1 कुपाराम पुत्र सफारामजी आयु–62 वर्ष जाति–सिरवी निवासी–दादाई तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से– वकील दिनेश कुमार माली।
अप्रार्थी की ओर से–सरकारी पैराकार नायब तहसीलदार देसूरी।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 19.02.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम–वाडका पटवार हल्का दादाई के पुराने खसरा संख्या 96 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम से बनने वाले हाल खसरा संख्या 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर किस्म गै. मु. वाला को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी से सबोधित किया गया है।

यह है कि भूमि गत खसरा संख्या 96 में से प्रार्थी केसाराम पुत्र हीराजी को 1000 वर्ग गज और प्रार्थी सफा पुत्र गुलाजी को 916 वर्ग गज भूमि को प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में नियमन करने आदेश दिनांक 21.05.197 न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा दिया जाकर सनद जारी की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:20 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कमश पेज (2) राजस्व विविध मु0सं0– 04/2020 प्रार्थी मोटाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

यह है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खसरा संख्या 96 की किस्म बारानी प्रथम थी जिसमे गैर मुमकिन बाडा की सनद जारी करने का आदेश दिया जाने से किस्म गैर मुमकिन बाडा हो गई थी। वर्ष 1974 के बाद देसूरी में भू–प्रबन्धन कार्यक्रम चला था जो करीबन वष्र 1982 से 1985 की अवधी तक चला था।

यह है कि प्रार्थीगण ने नाम वादग्रस्त आराजी नियमन कर सनद जारी करने के बाद पुराने खसरा नम्बर 96 में से 2 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिनांक 16.03.1985 को दिये जाने से प्रार्थी के कब्जा में हस्तक्षेप किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा राजकीय विद्यालय को भूमि आंवटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में पेश की गई जिसकी अपील संख्या 237/1987 को दर्ज होकर दिनांक 26.09.1988 को निर्णित कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिनांक 16.03. 1985 को निरस्त किया गया, अप्रार्थी के कब्जा सुदा भूमि की जारी सनद और नियमन आदेश को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जोधपुर द्वारा पुख्ता स्वीकार किया गया।

यह है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर की अपील संख्या 237/1987 के निर्णय दिनांक 26.09.1988 के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण हुआ जिसके पास ही प्रार्थीगण की 1000 वर्गगज, 916 वर्गगज भूमि लगातार स्थित है जिस पर शान्ति पूर्वक बिना किसी व्यवधान के प्रार्थी का निरंतर उपयोग उपभोग किया जा रहा है।

यह है कि अप्रार्थी द्वारा गलत रूपेण 91 भू–राजस्व अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस प्रेषित किये जाने पर जानकारी में आया हैकि वक्त हाल भू–प्रबन्ध कार्यक्रम के बिना किसी विधिक आदेश या अधिकार के खसरा संख्या 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन वाला लिख दी गई जबकि वर्तमान में या पूर्व में कभी भी वाला नही रही है और ना ही हैं। तथा ना ही भू–प्रबन्ध कार्यक्रम पूर्व पुराने खसरा नम्बर 96 कीकिस्म गै.मु. वाली थी।

इस प्रकार वर्तमान में खसरा नम्बर 221 की किस्म गै.मु. वाला लिपिकीय भूल वंश गलत इन्द्राज की गई है जो तत्कालिन समय में चले विवद में तलब की गई मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब और अधिकृत कब्जा के दस्तावेजो से अप्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 11/2020 में दिनांक 21.07.2020 को निर्णय कर प्रकरण खारीज करने का आदेश दिया गया है जिससे भी प्रमाणित हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.18 18:42:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः लिपिकीय भूल से गत खसरा नम्बर 96 के स्थान पर खसरा नम्बर 221 की किस्म गै. मु. वाला गलत इन्द्राज की गई है जो कायम दुरूस्ती होने से माफिक सनद प्रार्थी के कब्जा के वादग्रस्त भूमि की किस्म इन्द्राज कराने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश पेज (3) राजस्व विविध मु0सं0– 04/2020 प्रार्थी मोटाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद का पैरा संख्या 1 रिकोर्ड के अनुसार होने से स्वीकार हैं। भूमि खाते में सिवाय चक दर्ज होने से 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी। प्रार्थी को राहत दिया जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया।

मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट है कि ग्राम वाडका पटवार हल्का दादाई के पुराने खसरा नम्बर 96 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर बने। तथा सम्वत् 2029 से 2032 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम वाडका तहसील–देसूरी की किस्म बारानी अव्वल थी तथा वादग्रस्त आराजी के गत खसरा संख्या 96 में से प्रार्थी केसाराम पुत्र हीराजी 1000 वर्ग गज और प्रार्थी सफा पुत्र गलाजी को 916 वर्गगज की भूमि का नियमन दिनांक 21.05.1974 को न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा दिया जाकर सनद जारी की गई थी। जो नियमन आदेश 649 दिनांक 21.05.1974 व ढाल–बाछ की प्रतिलिपी से स्पष्ट है।

दिनांक 21.05.1974 को वादग्रस्त भूमि नियमन कर सनद जारी करने के बाद पुराने खसरा संख्या 96 में से 2 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश जारी किया गया।

जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 26.09.1988 को निर्णित कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आंवटित करने का आदेश का निरस्त किया गया तथा यह भी प्रमाणित किया कि ग्राम पंचायत को खसरा नम्बर 96 में भूमि आवंटित हुई थी और अपीलार्थी का नियमन भी खसरा नम्बर 96 में हुआ था। अपीलांट की उक्त आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नही दी गई और न ही सूनवाई का अवसर दिया।

यह है कि पत्रावली में उपलब्ध प्रतिलिपी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली के पत्रांक क्रमाकं/एफ/(2)(3)/851 दिनांक 16.03.1985 व उपखण्ड अधिकारी, बाली के पत्रांक क्रंमाक/राजस्व/85/1626 दिनांक 13.05.1985 में भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 96 की किस्म बारानी प्रथम होना बताया है तथा भूमिधारी तहसीलदार देसूरी ने भी अपने जवाब ने पैरा संख्या 1 व 2 को रिकोर्ड के अनुसार स्वीकार किया है कि

"उक्त ग्राम–वाडका पटवार हल्का दादाई के पुराने खसरा संख्या 96 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम से बनने वाले नये खसरा संख्या 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर किस्म गै. मु. वाला है। उक्त भूमि गत खसरा संख्या 96 में से प्रार्थी केसाराम पुत्र हीराजी

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:20 IST
Reason: I Attested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

को 1000 वर्ग गज और प्रार्थी सफा पुत्र गुलाजी को 916 वर्गगज की भूमि को प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी में नियमन करने आदेश दिनांक 21.05.1974 को न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा दिया जाकर सनद जारी की गई थी।"

पटवारी हल्का दादाई द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि नवीन खसरा नम्बर 221 रकबा 0.3100 किस्म गैर मुमकिन वाला दर्ज होने से उक्त प्रकरण 91 की कार्यवाही हेतु तहसीदार देसूरी के समक्ष पेश किया किया जिसको दिनांक 21.07.2020 को निर्णित कर प्रार्थीगण के विरूद्ध 91 की कार्यवाही को ड्रोप की गई तथा निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि *"दौराने भू–प्रबन्ध गत खसरा संख्या 96 से बनाये गये हाल खसरा नम्बर 221 की किस्म गैर मुमकिन वाली इन्द्राज भूल वंश किया गया है। नियमन आदेश दिनांक 21.05.1974 से अप्रार्थीगण के पिता और उनके स्वर्गवास के बाद वारीसान अप्रार्थीगण का कब्जा अधिकृत है, अनाधिकृत नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार गांव वाडका के खसरा नम्बर 221 की भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नियमन आदेश दिनांक 21.05.1974 से अधिकृत होने से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित नही है।'*

उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को ग्राम–वाडका पटवार हल्का दादाई के पुराने खसरा संख्या 96 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम से बनने वाले हाल खसरा संख्या 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर की किस्म गै. मु. वाला जो तत्कालिन विभिन्न रिर्पोटो तथा अप्रार्थी द्वारा दिये गये जबाव व नियमन आदेश आदि से सिद्ध होता है कि यह लिपिकीय भूल वंश से गलत इन्द्राज की गई है।

न्यायालय की राय में उक्त हाल खसरा नम्बर 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन वाला का सुधार किया जाकर किस्म बारानी प्रथम किया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है–

–: आदेश :–

अतः ग्राम वांडका, पटवार हल्का दादाई तहसील–देसूरी के खसरा नम्बर 221 क्षेत्रफल 0.3100 हैक्टर के भू–अधिकार अभिलेखों में **किस्म गैर मुमकिन वाला से बारानी प्रथम** इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को निर्णय के प्रतिलिपी भेज कर उपरोक्त अनुसार भू–अधिकार अभिलेखों में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
देसूरी